बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या–पी.आर. 53/2018

इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा, 2018 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु सभी मूल्यांकन केन्द्र निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं परीक्षकों के लिए आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2018 की व्यवहृत बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु समिति के पत्रांक–BSEB(SS)/COE/171/2018, दिनांक–07.03.2018 के द्वारा सभी मूल्यांकन केन्द्र निदेशक को निम्नांकित अर्हता यथा :–

- जो मान्यता प्राप्त +2 शिक्षण संस्थान में शिक्षक हों;
- +2 शिक्षण संस्थान में कम से कम 3 वर्षों तक अध्यापन का कार्य पूरा कर लिये हों;
- जिनका नाम काली सूची में दर्ज नहीं हो;
- जिनका नियुक्ति–पत्र सह–परीक्षक/प्रधान परीक्षक के रूप में पूर्व में समिति द्वारा निर्गत नहीं है;

धारित करते हों, में से अधिक से अधिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति जिला शिक्षा पदाधिकारी की सहमति प्राप्त कर, अपने स्तर से किये जाने हेतु निदेश संसूचित है। इस विज्ञप्ति के माध्यम से सभी मूल्यांकन केन्द्र के केन्द्र निदेशक को पुनः निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त योग्यताधारी शिक्षकों को परीक्षक के रूप में स्थानीय स्तर पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से सहमति प्राप्त कर नियुक्त कर मूल्यांकन केन्द्रों पर योगदान कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि निर्धारित अवधि के अंतर्गत मूल्यांकन का कार्य सम्पन्न हो सके।

2. व्यवहृत बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु सह–परीक्षक/प्रधान परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित सूची निर्धारित मूल्यांकन केन्द्रों पर भेजी गई है। जिस मूल्यांकन केन्द्र पर जिन विषय/विषयों की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य सम्पन्न हो गया हो और उसी जिलान्तर्गत चयनित दूसरे मूल्यांकन केन्द्र पर यदि उस विषय/विषयों की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन उन विषय के परीक्षक के अभाव में नहीं हो पाया हो, तो उन विषय के परीक्षकों जिन्हें पूर्व निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र के लिए नियुक्त किया गया था और वे वहाँ से विरमित हो चुके हों, तो वे जिलान्तर्गत दूसरे मूल्यांकन केन्द्र पर अपने विषय की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने हेतु योगदान करना/कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. ऐसी भी सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ मूल्यांकन केन्द्रों पर आवश्यकता से अधिक परीक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, जिसे मूल्यांकन केन्द्र के केन्द्र निदेशक के द्वारा आवश्यकता महसुस नहीं करते हुए उन्हें वापस किया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि यदि किसी मूल्यांकन केन्द्र पर आवश्यकता से अधिक परीक्षकों की नियुक्ति महसुस की जा रही हो, तो उन्हें वापस नहीं किया जाय, ताकि निर्धारित समय के अन्तर्गत मूल्यांकन कार्य पूरा किया जा सके। यदि उस मूल्यांकन केन्द्र पर किसी विषय की उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन करने हेतु शेष नहीं बचा हो तो उस परिस्थिति में जिलान्तर्गत दूसरे मूल्यांकन केन्द्र, जहाँ उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या अधिक है, उस मूल्यांकन केन्द्र पर अपने स्तर से योगदान कराया जाय, ताकि शीघ्राति–शीघ्र मूल्यांकन कार्य सम्पन्न हो सके।

परीक्षा नियंत्रक (उ0 मा0)